4–पेंशन/सेवानिवृत्ति क लाभ

क0सं0	विषय	शासनादेश संख्या/दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	पेंशन पुर्नरीक्षण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 419/xxvii (7)/2008 दिनांकः 27 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–6(3) का संशोधन।	सं0:– 85/xxvii(7)09(24)/2011 दिनांकः 07 जून, 2011	25–26
2	राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनरों को बैंक अथवा कोषागार में जीवित प्रमाण पत्र भरने की सुविधा का सरलीकरण।	सं0:–246/xxvii(7)/2011 दिनांकः 01 नवम्बर, 2011	27–28
3	नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले कार्मिकों को असामयिक निधन/निःशक्तता होने पर अनन्तिम आधार पर पारिवारिक पेंशन योजना लागू किया जाना।	सं0:–272/xxvii(7)56/2011 दिनांकः 09 दिसम्बर, 2011	29–32
4	राज्य सरकार के पेन्शनर्स के सेवानिवृत्तिक लाभों के लिए कर्मियों की बीमा, सरप्लस कर्मियों का वेतन तथा डीकीटल धनराशि के लिए वर्ष 2012–13 में प्राविधानित धनराशि का निवर्तन पर रखा जानां।	सं0:–116/xxvii(7)09(23)/2009 दिनांकः 22 मई, 2012	33–36

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 85 / xxvii(7)9(24) / 2011
देहरादून, दिनांकः 07 जून,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–पेंशन पुनरीक्षण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्याः419 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–6(3) का संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारी संघ द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम दिनांक 01–01–2006 अथवा उसके पश्चात सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन / ग्रेच्युटी / पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण में संशोधन के संबंध में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्याः419 / XXVII (7) / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–6(3) में नीचे उल्लिखित कालम–1 के अनुसार व्यवस्था को नीचे कालम–2 के अनुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

वर्तमान बिन्दु 6(3)	संशोधित बिन्दु 6(3)
20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर **'अंतिम माह में आहरित वेतन'** या 10 माह की औसत परिलब्धियां जो भी कर्मचारी को लाभकारी हों, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी। जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, उनके लिए भी उक्त व्यवस्था समान रूप से लागू होगी।	20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर **'अंतिम आहरित वेतन'** या 10 माह की औसत परिलब्धियां जो भी कर्मचारी को लाभकारी हों, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी। जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, उनके लिए भी उक्त व्यवस्था समान रूप से लागू होगी।

2– उक्त के फलस्वरूप उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक27 अक्टूबर,2008 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाए।

3– उक्त बिन्दुओं पर अब उक्त स्पष्ट की जा रही स्थिति के अनुसार कार्यावन्यन की कार्यवाही संबंधित पेंशन स्वीकृर्ता अधिकारियों के द्वारा की जानी सुनिश्चित की जाएगी।

भवदीय,
(राधा रतूडी)
सचिव,वित्त।

संख्या : 86 (1)/XXVII(7)9(24)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,नैनीताल,उत्तराखण्ड।
9. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
12. सामान्य प्रशासन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
15. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

संख्या: 246/xxvii(7)/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1.समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
2.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0--सा0नि0)अनु0-07 देहरादून:दिनांक: 01 नवम्बर, 2011

विषय:- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनरों को बैंक अथवा कोषागार में जीवित प्रमाण पत्र भरने की सुविधा का सरलीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश ——— संख्या:1088/xxvii(3)पं/2004 दिनांक 26 अगस्त,2004 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनरों को बैंक अथवा कोषागार में प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर में पेंशन भुगतान करने वाले कोषागार/उपकोषागार/बैंक में उपस्थित होकर अपने जीवित होने के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराने की अनिवार्यता है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति प्रदेश के समस्त कोषागारों के आन लाईन होने के कारण पेंशनरों के वार्षिक सत्यापन की वर्तमान प्रक्रिया को कोषागारों में क्रियाशील साफ्टवेयर में एन0आई0सी0 के सहयोग से प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनरों को बैंक अथवा कोषागार में जमा किया जाने वाला जीवित प्रमाण पत्र अब राज्य के किसी भी कोषागार/भुगतान एवं लेखा कार्यालय में उपस्थिति होकर अपना वार्षिक सत्यापन निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) पेंशनर यदि उसी कोषागार में सत्यापन हेतु उपस्थिति होता है जहाँ से उस पेंशन का भुगतान हो रहा है तब पेंशनर के सत्यापन कार्य कोषागार के यूजर(लेखाकार) के स्तर से किया जाएगा।

(2) यदि पेंशनर अपनी पेंशन भुगतान करने वाले कोषागार से भिन्न कोषागार में वार्षिक सत्यापन हेतु उपस्थित होता है तब पेंशनर के सत्यापन कार्य कोषागार के सुपरवाइजर (सहायक कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी/कोषाधिकारी) के स्तर से किया जाएगा।

(3) पेंशनर की पेंशन जिस बैंक खाते में जमा की जा रही है, उसकी फोटो लगा अद्यतन पासबुक को पेंशनर द्वारा कोषागार में सत्यापन के समय साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या : 256 (1) / XXVII(7) / 2011 तददिनांक

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख **सचिव / सचिव उत्तराखण्ड** शासन।
3. प्रमुख सचिव विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मीरोड, उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें,23 लक्ष्मीरोड,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. भारतीय स्टेट बैंक तथा समस्त अनुसूचित बैंकों के प्रबन्धक।
8. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:२७२ / xxvii(7)56 / 2011
देहरादून, दिनांक:०१ दिसम्बर,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले कार्मिकों को असामयिक निधन / निःशक्तता होने पर अनन्तिम आधार पर पारिवारिक पेंशन योजना लागू किया जाना।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या:21 / XXVII (7) / 2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा दिनॉक 1 अक्टूबर, 2005 को अथवा इसके बाद राज्य सरकार की सेवा में आये समस्त कार्मिक, शासन के नियंत्रणाधीन स्वायतशासी संस्थायें और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, हेतु अनिवार्य रूप से अंशदान पेंशन योजना लागू की गई है।

2– उक्त पेंशन योजना लागू होने के कारण उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) रूल्स, 1961 में राज्य शासन की अधिसूचना सं0– 19 / XXVII (7)अं0पें0यो0 / 2005, दि0 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा संशोधन किया गया है, जिसके फलस्वरूप दिनांक 01, अक्टूबर 2005 को या इसके पश्चात नियुक्त राज्य सरकार के सेवकों के लिए उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) रूल्स, 1961 के प्रविधान लागू नहीं होंगे।

3– अब केन्द्र सरकार द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप सं0– 38 / 41 / 06 / पी एण्ड पी0डब्लू(ए) दिनांक 05 मई 2009 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है, कि नवीन पेंशन योजना केवल शासकीय सेवकों के सामान्य स्थिति में देय पेंशन तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन का प्रतिस्थापन है। अतः शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु अथवा अपंगता / असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण हेतु दिनांक 01–10–2005 को या इसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों के पेंशन हितलाभ हेतु पृथक से प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

4– उक्त योजना पेंशन हितलाभ हेतु केन्द्र सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठित किया गया है,, जिसके द्वारा सेवाकाल में मृत्यु अथवा अपंगता / असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण के प्रकरणों में नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ देने की अनुशंसा की गयी है। उच्च स्तरीय कार्यदल द्वारा इस संबंध में की गयी अनुशंसा पर निर्णय एवं कियान्वयन में विलम्ब को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा सेवाकाल में मृत्यु अथवा अपंगता / असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण के प्रकरणों में पेंशनरी लाभ देने हेतु अनन्तिम आदेश जारी किये गये हैं।

5– उक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के उक्त अंतरिम निर्णय के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा भी नई पेंशन योजना से आच्छादित राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवाकाल में मृत्यु अथवा सेवा अवधि में घटित अपंगता / असमर्थता के कारण राज्य सरकार की सेवा में अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण होने पर अनन्तिम रूप से निम्न व्यवस्थानुसार पेंशनरी सुविधा अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) **सामान्य स्थिति में शारीरिक / मानसिक अक्षमता के कारण शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति पर**– उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) रूल्स –1961, एवं समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार परिगणित विकलांग पेंशन एवं सेवानिवृत्ति / मृत्यु उपादान।

(2) **शासकीय सेवक की सामान्य परिस्थिति में मृत्यु होने पर –**
नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965, एवं समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार परिगणित पारिवारिक पेंशन एवं मृत्य उपादान।

(3) **शासकीय सेवक की शासकीय कार्य सम्पादन की अवधि में मृत्यु होने पर–**
उत्तर प्रदेश असाधारण पेंशन नियमावली –1961 एवं समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार परिगणित असाधारण पेंशन एवं मृत्य उपादान।

(4) **पुलिस बल के सदस्यों की पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण पेंशन नियमावली –1961 में वर्णित परिस्थितियों में मृत्यु होने पर –**
उत्तर प्रदेश (पुलिस) असाधारण नियमावली –1961, एवं समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार परिगणित असाधारण पेंशन एवं सेवानिवृत्ति/मृत्य उपादान।

6– शासकीय कर्मचारी के परिवार को उपरोक्त हित–लाभ के साथ यथास्थिति मंहगाई पेंशन/मंहगाई राहत की पात्रता भी अनन्तिम (Interim) रूप से अनुमन्य होगी।

7– उपरोक्त अनंतिम हितलाभों का समायोजन राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के द्वारा गठित कार्यदल की संस्तुति को लागू करने व अंतिम रूप से बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार देय हितलाभों से किया जायेगा एवं इसके फलस्वरूप यदि कोई वसूली की जानी है तो ऐसी वसूली इन नियमो के अन्तर्गत भविष्य में विकलांग पेंशनर/ कार्मिक की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशनर को किये जाने वाले भुगतानों से की जायेगी।

8– उक्त प्रस्तर– 5 के अनुसार किये जाने वाले अतरिम भुगतान की अवधि में नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के सेवक अथवा उसके परिवार को किसी प्रकार का मासिक–वार्षिकी (Monthly Annutised) का पेंशन के रूप में भुगतान नई पेंशन योजना से नही किया जायेगा।

9– ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार के सेवक अथवा उसके परिवार को उपरोक्त प्रस्तर –5 के अनुसार अंतरिम हितलाभ की पात्रता है, और नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत जमा राशि का भुगतान कर दिया गया है, ऐसी भुगतान की गयी राशि का समायोजन भविष्य में प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियमों के अनुसार कर लिया जायेगा।

10– नई पेंशन योजना के अन्तर्गत उक्त श्रेणी के पेंशनरों के पेंशन प्रपत्रों का तैयार किया जाना प्रस्तुतीकरण एवं स्वीकृति की प्रकिया पूर्व में शासकीय कार्मिकों हेतु की गयी व्यस्थानुसार ही रहेगी।

11– कोषागार स्तर पर उक्त व्यवस्थानुसार स्वीकृत पेंशन हित लाभों के भुगतान का लेखा पृथक से "नई पेंशन योजना" की कैटेगरी में लेखांकन किया जायेगा, जिससे कि इसका लेखा भविष्य में किसी प्रकार के समायोजन के समय प्राप्त किया जा सके।

12 – पूर्व में कार्यालय ज्ञाप सं0 –210/XXVII (7) / 2008, दि0 3 जुलाई, 2008 के द्वारा नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों हेतु अवकाश नकदीकरण की सुविधा को स्थगित किया गया था। अब यह स्पष्ट किया जाता है, कि अवकाश नकदीकरण की सुविधा सेवानिवृत्तिक हित लाभ के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं की जाती है। अतः इस योजना के अर्न्तगत उक्त श्रेणी के कार्मिकों को अवकाश नकदीकरण के सम्बन्ध में दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों के समान सभी सुविधाऐं यथावत लागू रहेंगी।

उक्त आदेश दिनांक 01 अक्टूबर 2005 या इसके बाद नियुक्त शासकीय सेवको के लिए दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से प्रभावी माने जायेंगे। पूर्व निर्गत नियमावलियों में संशोधन बाद में कर लिये जायेंगे।

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25 अक्टूबर,2005 तथा तत्क्रम में समय–समय पर निर्गत शासनादेश केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझे जाए।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या २७२ (1)/XXVII (7)56 (अं0पे0यो0)/ 2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
3– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
5– स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
6– सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।
7– सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।
8– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– समस्त कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
10– निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
11– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूडकी।
12– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक देहरादून।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त

संख्या: 116/XXVii(7)09(23)/2009

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
लेखा एवं हकदारी,
23 लक्ष्मी रोड डालनवाला,
उत्तराखण्ड देहरादून ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक: 22 मई,2012

विषय:–राज्य सरकार के पेन्शनर्स के सेवानैवृत्तिक लाभों के लिए कर्मियों की बीमा, सरप्लस कर्मियों का वेतन तथा डीक्रीटल धनराशि के लिए वर्ष 2012–13 में प्राविधानित धनराशि को निवर्तन पर रखा जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सख्या 40/ XXVii(7)09(23)/2009 दिनांक 04 मई,2011 के क्रम में राज्य सरकार के पेन्शनर्स के समस्त सेवानैवृत्तिक लाभों सरप्लस कर्मियों का वेतन, राज्य सरकार के कार्मिकों की भविष्य निधि बीमा योजना, पेंशनरों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति व डीक्रीटल मद हेतु संलग्न विवरणानुसार वर्ष 2012–13 में प्राविधानित रू0 4,25,78,37,000/– (रूपये चार अरब पच्चीस करोड अठहत्तर लाख सैंतीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु निवर्तन पर रखें जाने की निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) समस्त जनपदीय कोषागारों को उनके यहां पेन्शनर्स की संख्या के अनुरूप आलोच्य अवधि की आवश्यकता के अनुरूप धनराशि निवर्तन पर रखकर उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी,

(2) उक्त धनराशि का व्यय उन्हीं मदों/योजनाओं में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत की जा रही है,

(3) व्यय करते समय बजट मैनुवल,वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा,

(4) सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारियों/कोषाधिकारियों द्वारा मासिक आवश्यकतानुसार ही उनको आवंटित की गई धनराशि के विपरीत धनराशि का आहरण किया जायेगा,

(5) प्रत्यैक जनपद मे कुल पेन्शनर्स एवं उनमें से प्रत्येक मद की वार्षिक आवश्यकता का विवरण भी शासन को सम्बन्धित जनपदों से प्राप्त कर उपलब्ध करा दिया जायेगा,

(6) उक्त मदों में व्यय अब उक्त आवंटन के अनुसार ही समस्त जनपदों के कोषागारों को सुनिश्चित कर पुर्नआवंटन किया जायेगा ।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–7 के शीर्षक 2052, 2071– पेन्शन तथा अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ 01–सिविल–आयोजनेत्तर के अन्तर्गत संलग्नक में अंकित लघु शीर्षकों के अन्तर्गत विस्तृत शीर्षक के तहत उल्लिखित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायगा ।

संलग्नक–यथोपरि ।

भवदीय

(राधा रतूडी)
सचिव सचिव

संख्या :16/xxvii(7)09(23)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार,ओबेराय भवन,माजरा,देहरादून ।

(2) वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,समस्त जनपद,उत्तराखण्ड।

(3) निदेशक,एन0आई0सी0उत्तराखण्ड,देरादून ।

(4) गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें(कमंश)–00–आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रू0 में)

091–संलग्न कार्यालय

05–जनपदों में विभिन्न विभागों से अधिक(सरप्लस स्टाफ) हेतु एक मुश्त व्यवस्था–00

01–वेतन	6000
03–मंहगाई	4080
04–यात्रा व्यय	28
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	13
06–अन्य भत्ते	17
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	32
योगः–	10170

800–अन्य व्यय

04–सरकारी कर्मचारियों को भविष्य जमा बीमा योजना के सापेक्ष भुगतान–00

42–अन्य व्यय	6667
योगः–	6667

06–मा0 न्यायालयों द्वारा की गई डिक्री से संबंधित धनराशि–00

42–अन्य व्यय–	6667
योगः– (भारित)	6667

2071–पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (धनराशि हजार रू0 में)

01–सिविल–आयोजनेत्तर

101–अधिवर्षता और सेवानिवृत्ति भत्ते

03 अधिवर्षता और सेवानिवृत्ति भत्ते

02–उत्तराखण्ड राज्य के अधीन

33–पेंशन/आनुतोषिक	1433333
49–मंहगाई पेंशन	—
योगः–	1433333

102–पेंशन का सारांशीकृत मूल्य

03 पेंशन की राशि मूल्य(कम्यूटेड वैल्यू आफ पेंशन)

02 उत्तराण्ड राज्य के अधीन

33–पेन्शन/अनुतोषिक	833333
योग–	833333

104–उपादान–03 उपादान
302–उत्तराखण्ड राज्य के अधीन

33– पेंशन / आनुतोषिक	1033333
योग–	1033333

105–परिवार पेंशन–03 परिवार पेंशन
0302–उत्तराखण्ड राज्य के अधीन

33–पेंशन आनुतोषिक	500000
49–महगाई पेंशन	—
योग–	500000

115 सेवानिवृत्ति / सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ
03–सेवानिवृत्ति / सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ

02–उत्तराखण्ड राज्य के अधीन

01–वेतन		233333
03–महगाई भत्ता		158667
06–अन्य भत्ते		25667
48–महगाई		—
	योग–	417667

800–अन्य व्यय
04– राज्य सरकार के सेवानिवृत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष उपचार हेतु सहायता(उत्तराखण्ड)–00

42–अन्य व्यय		16667
	योग–	16667
	महायोग–	4,25,78,37

(रूपये चार अरब पच्चीस करोड़ अठहत्तर लाख सैंतीस हजार मात्र)

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।